IN THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 45 OF 2025

IN THE MATTER OF:

GAURAV AGARWAL ..Applicant

Versus

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. ..Respondent

INDEX

NDOH: 02/05/2025

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Reply on behalf of respondent no. 5 – GhaziabadDevelopment Authority to the application filed by the Applicant along with the affidavit in support	1-8
2.	**ANNEXURE–R5/1** A true copy of minutes of meeting regarding handing over of Indirapuram Scheme to Respondent No. 04	9-20
3.	Vakalatnama	21

NEW DELHI

DATE: 30/04/2025 **THROUGH**

(RACHIT MITTAL)
Advocate for Respondent No. 5
MZ-24 & 25, Ansal Fortune Arcade,
Sector 18, Noida- 201301
Uttar Pradesh
Mob.: +91 9873997047
Email: office@rmlawchambers.in

1

IN THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 45 OF 2025

IN THE MATTER OF:

GAURAV AGARWAL **..Applicant**

Versus

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. **..Respondent**

REPLY ON BEHALF OF RESPONDENT NO.5–GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY TO THE APPLICATION FILED BY APPLICANT

MOST RESPECTFULLY SHOETH:

PRELIMINARY SUBMISSIONS:

1. That the captioned Original Application has been filed by the Applicant allegingthe Respondent's failure in discharging their duties under the SWM Rules 2016 to provide for the necessary mechanism for collection and segregation of the solid waste from residential places and the shops in the area of Indirapuram, Ghaziabad. The Applicant sought the following reliefs:

   "i) Pass an appropriate order or direction to the Respondents to take remedial action by implementing the Solid Waste Management Rules 2016 in letter and spirit. And/or

   ii) Pass an appropriate order or direction to the Respondents to take action against the persons throwing garbage and municipal waste on the public street, causing pollution. And/or

NOTARY PRAMOD KUMAR Notary GHAZIABAD Reg. No.-705 GOVT. OF INDIA

2

iii) Pass any other order or direction as this Hon'ble Tribunal deems fit in the facts and circumstances of this case."

2. That the captioned application was listed on 30.01.2025 before this Hon'ble Tribunal, and this Hon'ble Tribunal passed the following orders:

"ORDER

...

3. Issue notice to the respondents. Ms. Priyanka Swami accepts notice on behalf of respondent no. 1 and seeks four weeks to file the reply. Applicant is directed to serve the other respondents and file the affidavit of service at least one week before the next hearing date.

4. The applicant has expressed that he wants to implead the District Magistrate, Ghaziabad, as respondent no. 6, a necessary party in the matter.

5. The Prayer is allowed.

6. He is directed to amend the cause title of the OA, serve the respondent and file an affidavit of service.

7. List on 02.05.2025."

NOTARY PRAMOD KUMAR GHAZIABAD Reg. No. 105 GOVT. OF INDIA

3. That the present Reply is being filed by Respondent No. 5,i.e., Ghaziabad Development Authority (hereinafter

3

referred to as ***"answering respondent"***) in compliance with the aforementioned order passed by this Hon'ble tribunal.

4. That at the outset,the answering Respondentdenies each and every averment contained in the captioned application, except those which are admitted herein expressly.
5. That the captioned Application filed by the Applicant is replete with factual perversity and contains incorrect and misconceived submissions. It is submitted that the Applicant had pleaded incongruent averments and has based the Application on false surmise and vague conjectures. The Applicant has misleading and contradictory averments in his application and has blatantly suppressed material facts with an intent to mislead this Hon'ble Tribunal,and hence, the captioned Application is liable to be dismissed.
6. The para-wise reply is not required to be filed by the answering Respondent.
7. It is to bring to the knowledge of this Hon'ble Tribunal that the Applicant is not liable for any relief whatsoever against the answering Respondent as the answering Respondent is not liable for discharging its duties under the SWM Rules 2016 to provide for the necessary mechanism for collection and segregation of the solid waste from residential places and the shops in the area of Indirapuram, Ghaziabad under the Indirapuram Scheme.

NOTARY PRAMOD KUMAR Notary GHAZIABAD Reg. No.-705 GOVT. OF INDIA

4

8. It is most humbly submitted that the answering Respondent constituted a committee with an agenda on whether the Indirapuram Scheme of the answering Respondent, with all infrastructure facilities and roads, sewer, drinking water, drains, parks, etc., could be transferred to the Municipal Corporation, Ghaziabad. It is pertinent to mention here that based on the report and meetings held between the answering Respondent and Respondent No. 4 (Municipal Corporation, Ghaziabad), on 06.09.2024 the decision to transfer/hand over the Indirapuram Scheme to the Municipal Corporation, Ghaziabad, was taken by the answering Respondent after the assent of the officers of the answering Respondent and the Respondent No. 4. A true copy of the minutes of meeting regarding handing over of Indirapuram Scheme to Respondent No. 04 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE–R5/1.**

9. It is pertinent to mention here that in terms of the aforesaid decision,the answering Respondent was required to pay a sum of Rs. 185.00 Crores to the Respondent No. 4, which will be utilized by the Respondent No. 4 towards the development and maintenance of the Indirapuram Scheme. Further, the answering Respondent has already transferred an amount of Rs. 150.00 Crores with the Respondent No. 4.

10. That in view of the abovementioned decision, the Respondent No. 4 is liable fordischarging all the duties as

NOTARY PRAMOD KUMAR Notary GHAZIABAD Reg. No.-705 GOVT. OF INDIA

5

alleged by the Applicant in his application to provide for the necessary mechanism for collection and segregation of the solid waste from residential places and the shops in the area of Indirapuram, Ghaziabad under the Indirapuram Scheme.

11. In view of the aforesaid circumstances, the present Application was liable to be dismissed as no cause of action arises qua the answering Respondent.

It is submitted that the answering Respondent has always been vigilant in exercising its duties and fulfilling its responsibilities with due care and consciousness at all times, and also has been complying with the orders/ directions passed by this Hon'ble Tribunal from time to time.

NEW DELHI
DATE: 30/04/25 **THROUGH**

RACHIT MITTAL
Advocate for Respondent No. 5

NOTARY GOVT. OF INDIA
PRAMOD KUMAR Notary GHAZIABAD Reg. No.-705

6

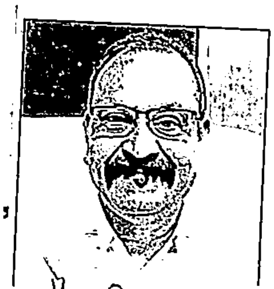

IN THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 45 OF 2025

IN THE MATTER OF:

GAURAV AGARWAL ..**Applicant**

Versus

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. ..**Respondent**

AFFIDAVIT

I, Alok Ranjan S/o Late Sri R P Gupta, aged about 58 years, working as Ex. Engineer, Ghaziabad Development Authority, Vikas Path, Near Old Bus Stand,

Ghaziabad, Uttar Pradesh201001, do hereby solemnly affirm and declare as under:-

1. That I, in the aforesaid capacity,am well conversant with the facts and circumstances of the case and the information derived from the official record. Hence, I am competent to swear this affidavit.

2. I have read and understood the contents of the accompanying Reply. I state that the facts stated therein are true to my knowledge derived from the official record and the legal submissions are based on legal advice received and believed to be true.

NOTARY
PRAMOD KUMAR
Notary
GHAZIABAD
Reg. No.-705
GOVT. OF INDIA

DEPONENT

7

VERIFICATION: -

The contents of the above paragraphs 1 to 2 are true and correct as per the official records. Nothing is wrong therein, and nothing material has been concealed therefrom.

Verified at Ghaziabad today on this 30th day of April, 2025

DEPONENT

NOTARY
PRAMOD KUMAR
Notary
GHAZIABAD
Reg. No.-705
GOVT. OF INDIA

30 APR 2025
01
Date
Affidavit of Alok Ranjan (E.E.)
S/o/W/o Late R.P. Gupta
R/o GDA, Ghaziabad
Identified by/Through Sri
ATTESTED
30.4.2025
PRAMOD KUMAR
Advocate Notary
Ghaziabad (U.P.) India

8

Emp.Code. A-260

GDA-0109

ALOK RANJAN

Designation. EXECUTIVE ENGINEER

Mobile. 09582716810

Blood Group. O +

Date of Birth. 08.06.1967

Card Holder's Signature

GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY
(Ministry of Housing U.P. State Government)
Vikas Marg., Ghaziabad (U.P)

Secretary, GDA

ALOK RANJAN
S/o Late Sh. R.P.GUPTA
801 ASHOKA, SHIPRA SRISHTI INDIRAPURAM GHAZIABAD
This card is the property of GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY to whom it
must be returned upon request or if found. The use of this card is covered by
the term and conditions of the Authority.If found please return to.
GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY
(Ministry of Housing U.P. State Government)
Vikas Marg., Ghaziabad (U.P)
Phone : 0120-2791126, 2792132, 2790659. Fax : 0120-2798979

NOTARY
PRAMOD KUMAR
Notary
GHAZIABAD
Reg. No.-705
GOVT. OF INDIA

ANNEXURE-R-5/1

9

हस्तान्तरण कार्यवृत्त–इन्दिरापुरम योजना

दिनांक 24.08.2024 को उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद कार्यालय कक्ष में "इन्दिरापुरम योजना" की अवस्थापना सुविधाओं यथा सडक, सीवर, पेयजल, नाले, पार्क आदि को नगर निगम, गाजियाबाद को हस्तान्तरण किये जाने हेतु बैठक आयोजित की गयी, जिसमें उपाध्यक्ष, गा0वि0प्रा0 व नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद एवं अन्य अधिकारी/अभियन्ताओं द्वारा हस्तान्तरण हेतु उद्धरत नीति अ0शा0प0–2337/9–आ–2001 दि0 27 जुलाई, 2001 व शासनादेश सं0 726 एच0/9–2–83 दि0 30 सितम्बर 1983 नगर विकास–2 के आलोक में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण व नगर निगम के समस्त अधिकारियों द्वारा पूर्व में हुई बैठकों में तैयार किये गये विभागवार आगणन पर गम्भीर विचार–विमर्श किया गया और GAP Analysis करते हुए निम्नवत सहमति व्यक्त की गयी है:–

1. सडक:– इन्दिरापुरम योजना में मुख्य एवं आन्तरिक सडको की लम्बाई लगभग 80.00 कि0मी0 है, जिसके सापेक्ष में रू0 50.00 करोड़ गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा नगर निगम, गाजियाबाद को सुदृढीकरण कार्य हेतु दिया जा रहा है। **(कुल धंनाक रू0 50.00 करोड)**
2. सीवर:– इन्दिरापुरम योजना में सीवर लाईन की सफाई एवं नई सीवर लाईन बिछाने हेतु धनांक रू0 25.00 करोड गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा नगर निगम, गाजियाबाद को दिया जा रहा है। वर्तमान में सीवर के रख–रखाव हेतु नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत वन सिटी वन ऑपरेटर योजना के अन्तर्गत मैसर्स बवाग कम्पनी द्वारा किया जा रहा है। इन्दिरापुरम क्षेत्र को वन सिटी वन ऑपरेटर योजना में शामिल किया जाने का कार्य शासन द्वारा किया जाना है। उक्त योजना में इन्दिरापुरम क्षेत्र को शामिल किये जाने तक सीवर व पाइप लाईन का अनुरक्षण व सचालन की व्यवस्था यथावत रहेगी जिसका वहन गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा जिस हेतु अधिकतम अवधि 06 माह होगी। **(कुल धंनाक रू0 25.00 करोड)**
3. पेयजल:– इन्दिरापुरम योजना में पेयजल के कार्य हेतु धनांक रु0 20.00 करोड़ गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा नगर निगम, गाजियाबाद को दिया जा रहा है, जिसमें नये ट्यूबवेल, नई पाईप लाईन एवं ट्यूबवेल व ओ0एच0टी0 मरम्मत हेतु दिया जा रहा है। **(कुल धंनाक रू0 20.00 करोड)**
4. सोलिड वेस्ट मेनेजमेन्ट:– इन्दिरापुरम योजना में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (सोलिड वेस्ट मेनेजमेन्ट) हेतु कूड़ा ट्रांसफर स्टेशन के लिए 4000 वर्ग मीटर एवं एम0आर0एफ0 हेतु 4500 वर्ग मीटर भूमि की आवश्यकता है, जिसके लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा हस्तान्तरण के 06 माह के अन्दर भूमि उपलब्ध कराने की सहमति व्यक्त की गयी साथ ही नगर निगम द्वारा कूड़ा कलेक्शन/ट्रांसफर स्टेशन की व्यवस्था अपने स्तर से किये जाने तक ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की वर्तमान व्यवस्था यथावत रहेगी जिसका वहन गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा जिस हेतु अधिकतम अवधि 06 माह होगी तथा सॉलिड वेस्ट प्रबन्धन हेतु रू0 15.00 करोड़ गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा गाजियाबाद नगर निगम को दिया जा रहा है। **(कुल धंनाक रू0 15.00 करोड़)**

NOTARY
PRAMOD KUMAR
Notary
GHAZIABAD
Reg. No.-705
GOVT. OF INDIA

10

5. नाला/नाली:– इन्दिरापुरम योजना में लगभग 135.00 कि0मी0 ब्रिक वर्क एवं आर0सी0सी0 से नालें निर्मित है, जिसके सापेक्ष में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा नगर निगम, गाजियाबाद को धंनाक रू0 50.31 करोड नालों की मरम्मत एवं नवीनीकरण हेतु दिया जा रहा है। योजना में आवश्यकतानुसार ब्रिक वर्क नालें के स्थान पर आर0सी0सी0 नालें के निर्माण तथा ब्रिक वर्क के नालों की मरम्मत/निर्माण हेतु दिया जा रहा है। **(कुल धंनाक रू0 50.31 करोड)**

6. स्ट्रीट लाईट:–गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा नगर निगम गाजियाबाद को स्ट्रीट लाईटों को बदलने एवं ठीक कराने हेतु धंनाक रू0 13.69 करोड दिया जा रहा है। **(कुल धंनाक रू0 13.69 करोड)**

7. पार्क :–गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा नगर निगम गाजियाबाद को उद्यानिक कार्यो हेतु धंनाक रू0 11.00 करोड दिया जा रहा है। नीति खण्ड–2 में स्थित साईट ऑफिस के 02 कमरे तथा उद्यान नर्सरी में मात्र साईट ऑफिस पूर्व की भांति अधिकतम 06 माह तक प्राधिकरण द्वारा उपयोग किया जाएगा। इस अवधि के उपरान्त सम्पूर्ण क्षेत्र पर नगर निगम का स्वामित्व होगा। **(कुल धंनाक रू0 11.00 करोड)**

8. अन्य कार्य:–

1. इन्दिरापुरम क्षेत्र में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित सभी सामुदायिक केन्द्र व उनसे आने वाली आय पर गाजियाबाद नगर निगम प्रबन्धन होगा।
2. इन्दिरापुरम क्षेत्र के सभी विज्ञापन अधिकार गाजियाबाद नगर निगम को हस्तान्तरित हो जायेंगे।
3. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण नीति खण्ड–2 में स्थित साइट ऑफिस नगर निगम को जोनल कार्यालय हेतु उपलब्ध करायेगा। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण नीति खण्ड–2 के साइट ऑफिस के 02 कमरे तथा नर्सरी के साइट ऑफिस पूर्व की भांति प्राधिकरण द्वारा उपयोग किया जायेगा। अन्य क्षेत्र पर नगर निगम का ~~स्वामित्व~~ प्रबंधन होगा।
4. यदि हस्तान्तरण के पश्चात नई व्यवस्था के कारण कोई किसी फर्म अथवा ठेकेदार द्वारा हस्तान्तरण से सम्बन्धित वाद दायर किया जाता है तो नगर निगम द्वारा प्रभावी पैरवी किये जाने का व्यय गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा वहन किया जायेगा।
5. इन्दिरापुरम क्षेत्र के हस्तान्तरण के कारण नगर निगम का कार्य क्षेत्र बड़ेगा जिसके लिए शासन से अतिरिक्त स्टाफ मिलने तक अथवा 03 माह तक गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का वर्तमान स्टाफ कार्यहित में सहयोग प्रदान करेगा।
6. इन्दिरापुरम क्षेत्र हस्तगत होने के 01 माह के अन्दर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण नगर निगम को सम्पूर्ण इन्दिरापुरम क्षेत्र के ड्रोन द्वारा की गयी वीडियो ग्राफी व फोटोग्राफी उपलब्ध करायेगा।
7. इन्दिरापुरम क्षेत्र हस्तगत होने की तिथि से भवन–कर, जल–कर व सीवर–कर लेने का अधिकार सरकारी बॉडिज सहित गाजियाबाद नगर निगम में निहित होगा।
8. इन्दिरापुरम क्षेत्र की सभी नर्सीयां हस्तगत की तिथि से गाजियाबाद नगर निगम को हस्तगत हो जायेंगी।

NOTARY
PRAMOD KUMAR
Notary
GHAZIABAD
Reg. No.-705
GOVT. OF INDIA

9. नगर निगम गाजियाबाद को हस्तान्तरण के फलस्वरूप प्राधिकरण से प्राप्त होने वाली धनराशि अंकन 185.00 करोड़ इन्दिरापुरम क्षेत्र के विकास में ही प्रयोग की जायेगी। उक्त धनराशि का प्रयोग नगर निगम किसी अन्य योजना में नहीं करेगा तथा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण उक्त धनराशि का समायोजन अन्य किसी विकास योजना व कार्य एवं देयकों से नहीं करेगा।

10. इन्दिरापुरम क्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की सोसायटी द्वारा जो देयक एवं अनुरक्षण शुल्क बकाया है हस्तान्तरण के बाद उन देयक व अनुरक्षण शुल्क को वसूलने का अधिकार गाजियाबाद नगर निगम का होगा।

11. गाजियाबाद नगर निगम हस्तान्तरण की धनराशि की प्राप्ती हेतु एक डेडीकेटिड संयुक्त एकाउन्ट खोलेगा जिसमें गाजियाबाद विकास प्राधिकरण एक मुश्त अंकन 70.00 करोड़ हस्तान्तरण के समय देगा तथा शेष धनराशि निम्नवत समयावधि तक गाजियाबाद नगर निगम को देगाः—

क्र0	धनराशि (करोड़ में)	समयावधि
1	40.00	31 दिसम्बर 2024 तक
2	40.00	31 मार्च 2025 तक
3	35.00	1 जुलाई 2025 तक

एक मुश्त अंकन 70.00 करोड़ प्राप्त होन के दिवस से ही हस्तान्तरण की प्रक्रिया मानी जायेगी।

12. गाजियाबाद नगर निगम द्वारा भी प्रस्ताव मा० सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

अतः उपरोक्तानुसार इन्दिरापुरम योजना व उसके विकास क्षेत्र की समस्त अवस्थापना सुविधाओं की हस्तान्तरण हेतु गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा नगर निगम, गाजियाबाद को धनाक रू0 185.00 करोड़ हस्तांतरित किया जायेगा। नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु मा0 मण्डलायुक्त, महोदया की अध्यक्षता में बैठक हेतु तिथि, समय व स्थान निर्धारण हेतु अनुमति प्राप्त की जायेगी।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

अवर अभियन्ता (सिविल), गा0वि0प्रा0	अवर अभियन्ता (विद्युत), गा0वि0प्रा0	उद्यान निरीक्षक, गा0वि0प्रा0
सहायक अभियन्ता (सिविल), गा0वि0प्रा0	सहायक अभियन्ता (विद्युत), गा0वि0प्रा0	सहायक प्रभारी उद्यान, गा0वि0प्रा0
अधिशासी अभियन्ता (सिविल), गा0वि0प्रा0	अधिशासी अभियन्ता (विद्युत), गा0वि0प्रा0	प्रभारी उद्यान, गा0वि0प्रा0

NOTARY
PRAMOD KUMAR
Notary
GHAZIABAD
Reg. No.-705
GOVT. OF INDIA

12

प्रभारी मुख्य अभियन्ता,
गा0वि0प्रा0

सचिव,
गा0वि0प्रा0

गाजियाबाद नगर निगम

अवर अभियन्ता (सिविल),
गा0न0नि0

अवर अभियन्ता (विद्युत),
गा0न0नि0

उद्यान पर्यवेक्षक,
गा0न0नि0

सहायक अभियन्ता (सिविल),
गा0न0नि0

सहायक अभियन्ता (विद्युत),
गा0न0नि0

अधिशासी अभियन्ता (जल)
गा0न0नि0

अधिशासी अभियन्ता (सिविल),
गा0न0नि0

अधिशासी अभियन्ता (उद्यान)
गा0न0नि0

प्रभारी उद्यान,
गा0न0नि0

नगर स्वास्थ्य अधिकारी
गा0न0नि0

महाप्रबन्धक (जल),
गा0न0नि0

06/09/24
मुख्य अभियन्ता,
गा0न0नि0

अपर नगर आयुक्त (प्रथम)
गा0न0नि0

अपर नगर आयुक्त (द्वितीय)
गा0न0नि0

06/09/24
नगर आयुक्त,
गा0न0नि0

उपाध्यक्ष,
गा0वि0प्रा0

प्रतिलिपिः—आयुक्त महोदया, मेरठ मण्डल, मेरठ को सादर अवलोकनार्थ।

अवलोकित
6/9/24.

NOTARY
PRAMOD KUMAR
Notary
GHAZIABAD
Reg. No.-705
GOVT. OF INDIA

13

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद ।

(टिप्पणियां एवं आदेश)

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवृत्त के बिन्दु सं0–11 के कम में प्रथम किश्त धनांक रू0 70.00 करोड (रू0 सत्तर करोड मात्र) नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद तथा सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के संयुक्त खाता सं0–50100763094633, IFSC Code HDFC0000153, HDFC Bank, RDC, Raj Nagar, Ghaziabad में हस्तान्तरित किये जाने की स्वीकृति हेतु पत्रावली अग्रसारित करने का कष्ट करे।

03.X.24

03/10/24 AE
पीयूष सिंह
सहा0 अभि0
जोन–6

3/10/24
आलोक रंजन
अधिशासी अभियन्ता जोन–6

सचिव कार्यालय
पत्रावली प्राप्ति
रजिस्टर सं0 980

03/10/24

3/10/24

उपाध्यक्ष कार्यालय
पत्रावली प्राप्ति
रजिस्टर क्र0 812
दिनांक 3/10/24

अतुल वत्स
उपाध्यक्ष
गा0 वि0 प्रा0, गाजि0

FC.

Bill Passed for Payment.
Rs= 70,00,00,000=00

03.10.24

03/10/24

EE-6
03/10/24

CC
3/10/24

NOTARY
PRAMOD KUMAR
Notary
GHAZIABAD
Reg. No.-705
GOVT. OF INDIA

~ 4 ~

14

EE26/FC

[illegible] 70,00,00,000 रु ([illegible]) [illegible]

3/10/2024
([illegible])

[illegible]
03/10/24

3/10/24

20 Oct 2024
RTGS 3/10/24
70,00,00,000 =00

3/10/2024
PCO

वित्त नियन्त्रक / [illegible] 20 Oct 2024
दिनांक 3/10/24 70,00,00,000 =00
[illegible] आर.टी.जी.एस. [illegible] हेतु प्रेषित

3/10/2024
PCO

03.10.24

3/10/24

NOTARY
PRAMOD KUMAR
Notary
GHAZIABAD
Reg. No.-705
GOVT. OF INDIA

15

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद ।

(टिप्पणियां एवं आदेश)

सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता/प्रभारी मुख्य अभियन्ता/सचिव/उपाध्यक्ष महोदय

कृपया इन्दिरापुरम योजना की समस्त अवस्थापना सुविधायें यथा सडक, सीवर, पेयजल, स्ट्रीट लाईट, नाली, पार्क आदि को गाजियाबाद नगर निगम को हस्तान्तरित किये जाने हेतु हस्तान्तरण कार्यवृत्त के बिन्दु सं0–11 के अनुसार गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा प्रथम किश्त के रूप में धंनाक रू0 70.00 करोड नगर आयुक्त, गाजियाबाद नगर निगम तथा सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के संयुक्त खातें में दिनांक 03.10.2024 को हस्तान्तरित कर दिये गये है। कार्यवृत्त के अनुसार दिनांक 31.12.2024 तक धंनाक रू0 40.00 करोड की धनराशि गाजियाबाद नगर निगम को दी जानी प्रस्तावित है।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवृत्त के बिन्दु सं0–11 के क्रम में द्वितीय किश्त धनांक रू0 40.00 करोड (रू0 चालीस करोड मात्र) नगर आयुक्त, गाजियाबाद नगर निगम तथा सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के संयुक्त खाता सं0–*50100763094633, IFSC Code HDFC0000153, HDFC Bank, RDC, Raj Nagar, Ghaziabad* में हस्तान्तरित किये जाने की स्वीकृति हेतु पत्रावली अग्रसारित करने का कष्ट करे।

21/12/24
विनय कुमार शर्मा
सहा0 अभि0

21/12/24
आलोक रंजन
अधि0 अभियन्ता
जी0डी0ए0

गोपाल कृष्ण शर्मा
अवर अभियन्ता

21/12/24
मानवेन्द्र कुमार सिंह
प्र0 मुख्य अभियन्ता

Bill Passed for Rs- 40,00,00,000/-

23/12/24
सचिव

VC Sir

अतुल ...
उपाध्यक्ष
गा0 वि0 प्रा0 गाजि0

NOTARY
PRAMOD KUMAR
Notary
GHAZIABAD
Reg. No.-705
GOVT. OF INDIA

(8)

16

सह०/वि०अ०/अधि०अभि०/मु०अभि० / FC

कृपया नोट शीट पृष्ठ सं (7) पर उपाध्यक्ष महोदय की स्वीकृति के अनुपालन में गाजियाबाद नगर निगम-गा०वि०प्रा० व सचिव गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के संयुक्त खाता से द्वितीय किश्त धनराशि 40,00,00000/- (चालीस करोड़ रुपये मात्र) का प्रासंगिक बिल तैयार कर पत्रावली तत्काल प्रस्तुत की अनुमोदित किया है, भुगतान हेतु पत्रावली तत्काल प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

24/12/2024
(संदीप कुमार त्यागी)
पुष्पपाल

24/12/24
विनय कुमार वर्मा
सहायक अभियन्ता

24/12/24
आलोक रंजन
अधिशासी अभियन्ता जोन-4

661/लेखा
24/12/24

746/लेखा
24/12/24

BANK OF B...
Voucher No. 301/Dec/024
RTGS Dt. 26/12/24
Amount No. 40,0000,000=00
26/12/24

वित्त नियन्त्रक / सचिव
कृपया संलग्न वाउचर सं. 301/Dec/024
दिनांक 26/12/24 ... 40,00,00,000=00
के ... हेतु प्रेषित
26/12/24

26-12-24

26/12/24

NOTARY ★ GOVT. OF INDIA ★ PRAMOD KUMAR Notary GHAZIABAD Reg. No. 705

17

(11)

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद ।

(टिप्पणियां एवं आदेश)

सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता/प्रभारी मुख्य अभियन्ता/सचिव/उपाध्यक्ष महोदय

कृपया इन्दिरापुरम योजना की समस्त अवस्थापना सुविधायें यथा सडक, सीवर, पेयजल, स्ट्रीट लाईट, नाली, पार्क आदि को गाजियाबाद नगर निगम को हस्तान्तरित किये जाने हेतु हस्तान्तरण कार्यवृत्त के बिन्दु सं0–11 के अनुसार गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा प्रथम किश्त के रूप में धनाक रू0 70.00 करोड दिनांक 03.10.2024 तथा द्वितीय किश्त धनांक रू0 40.00 करोड दिनांक 26.12.2024 को (कुल धनांक 110.00 करोड) नगर आयुक्त, गाजियाबाद नगर निगम तथा सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के संयुक्त खातें में हस्तान्तरित किये गये। कार्यवृत्त के अनुसार दिनांक 31.03.2025 तक धनाक रू0 40.00 करोड की तृतीय किश्त धनराशि गाजियाबाद नगर निगम को दी जानी प्रस्तावित है।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवृत्त के बिन्दु सं0–11 के क्रम में तृतीय किश्त धनांक रू0 40.00 करोड (रू0 चालीस करोड मात्र) नगर आयुक्त, गाजियाबाद नगर निगम तथा सचिव, गाजियावाद विकास प्राधिकरण के संयुक्त खाता सं0–*50100763094633, IFSC Code HDFC0000153, HDFC Bank, RDC, Raj Nagar, Ghaziabad* में हस्तान्तरित किये जाने की स्वीकृति हेतु पत्रावली अग्रसारित करने का कष्ट करे।

27/3/25
राजीव
अवर अभियन्ता
जी0डी0ए0

रूद्रेश कुमार शुक्ला
सहा0 अभि0
जी0डी0ए0

27/3/25
आलोक रंजन
अधि0 अभियन्ता
जी0डी0ए0

689/EE6
28/3/25

पूर्व में स्थानान्तरित धनराशि के उपयोग के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाए। (CE sir)

28/3/25
मानवेन्द्र कुमार सिंह
प्र0 मुख्य अभियन्ता

सचिव कार्यालय
पत्रावली प्राप्ति
रजिस्टर क्र0 525
दिनांक 28/3/25

130/CE
31/3/2025

VC Sir

उपाध्यक्ष कार्यालय
पत्रावली प्राप्ति
रजिस्टर क्र0 560
दिनांक 1/4/25

690/EE6
3/4/25

AE/JE
3/4/25

CE

EE-6

मानवेन्द्र कुमार सिंह
प्र0 मुख्य अभियन्ता

NOTARY
PRAMOD KUMAR
Notary
GHAZIABAD
Reg. No.-705
GOVT. OF INDIA

18

(12)

सहा०अभि०/अधि०अभि० / FC

कृपया नोट शीट पृष्ठ सं० (11) पर उपाध्यक्ष महोदय की स्वीकृति के अनुपालन में जी०डी०ए० द्वारा नगर निगम, नगर ..., गा०बाद के पक्ष में तृतीय किश्त धनराशि रु० 40,00,00,000/- (चालीस करोड़ मात्र) का आर०टी०जी०एस० तैयार कर दिया है और संलग्न कर दिया गया है, भुगतान हेतु पत्रावली नियमानुसार आगे की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

31/3/2025
(संतोष कुमार माहेश्वरी)
लेखाकार

राजेश कुमार शुक्ला
सहा० अभि०
जी०डी०ए०

आलोक रंजन
अधि० अभियन्ता
जी०डी०ए०

692/FC
31/3/25
01/4/25
848/लेखा
31/3/25

297/MAR/025
RTGS 31/3/25
400000000/-

सचिव
31/3/25 297/MAR/25
4,00,00,00,000/-

31/3/25

31/3/25

31/3/25

NOTARY
PRAMOD KUMAR
Notary
GHAZIABAD
Reg. No.-105
GOVT. OF INDIA

19

मद संख्या : 166/7 अभियन्त्रण

दिनांक 24.08.2024 को उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण तथा नगर आयुक्त, गाजियाबाद नगर निगम एवं अन्य अधिकारियों/अभियन्ताओं के साथ बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार इन्दिरापुरम आवासीय योजना एवं उसके विकास क्षेत्र की समस्त अवस्थापना सुविधाओं के हस्तानान्तरण हेतु गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा गाजियाबाद नगर निगम को वर्तमान अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु धनांक रू0–185.00 करोड़ हस्तानान्तरित किये जाने एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (ट्रांसफर स्टेशन व एम0आर0एफ0 सेन्टर) हेतु भूमि आवंटित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

प्रस्ताव–

अतः उपरोक्तानुसारः–

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की इन्दिरापुरम आवासीय योजना एवं उसके विकास क्षेत्र की समस्त अवस्थापना सुविधाओं के हस्तानान्तरण हेतु गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा गाजियाबाद नगर निगम को वर्तमान अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु धनांक रू0–185.00 करोड़ हस्तानान्तरित किये जाने एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (ट्रांसफर स्टेशन व एम0आर0एफ0 सेन्टर) हेतु भूमि आवंटित किये जाने का प्रस्ताव मा0 बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः– मा0 अध्यक्ष, प्राधिकरण बोर्ड की अनुमति से यह अतिरिक्त प्रस्ताव रखा गया तथा विचार–विमर्श उपरान्त अनुमोदित किया गया।

NOTARY
PRAMOD KUMAR
Notary
GHAZIABAD
Reg. No.-705
GOVT. OF INDIA

20

कार्यालय गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद

पत्र संख्या : 502 / 2 /2024 दिनांक: 09/09/2024

प्रभारी मुख्य अभियन्ता

विषयः हस्तान्तरण कार्यवृत्त इन्दिरापुरम योजना की मूल प्रति का प्रेषण।

कृपया उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या–333/1/2024 दिनांक 01.05.2024 द्वारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की इन्दिरापुरम योजना की अवस्थापना सुविधाओं यथा सड़क, सीवर, पेयजल, नाली, पार्क आदि को नगर निगम गाजियाबाद को हस्तान्तरण किये जाने हेतु समिति का गठन किया गया था।

समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर सभी अधिकारियों के हस्ताक्षर प्राप्त हो गये है, साथ ही नगर आयुक्त महोदय, गाजियबाद नगर निगम एवं उपाध्यक्ष महोदय, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के हस्ताक्षरोपरान्त आयुक्त महोदया, मेरठ मण्डल द्वारा कार्यवृत्त को अवलोकित कर दिया गया है।

कृपया कार्यवृत्त की मूल प्रति कार्यालय में संरक्षित रखने हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
9/9/24
(राजेश कुमार सिंह)
सचिव

280/CE
09.9.2024

पृष्ठांकन : /2/2024 दिनांक:

प्रतिलिपि :– उपाध्यक्ष महोदय को सादर अवलोकनार्थ।

सचिव

EE-6
09/9/24

33/EE6
09/9/24

NOTARY
PRAMOD KUMAR
Notary
GHAZIABAD
Reg. No.-705
GOVT. OF INDIA

21

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH NEW DELHI

₹5
NCT OF DELHI COURT FEE
DLCT2433157G2410M
24-JUL-2024

OA/ 45 /2025

ADVOCATES WELFARE FUND STAMP ₹25 1715463 DELHI TWENTYFIVE RUPEES

Shri Gaurav Agarwal

VERSUS

State of Uttar Pradesh & Ors

I, **M P Singh**, Joint Secretary/Prabhari Vidhi, Ghaziabad Development Authority, Ghaziabad in the above matter hereby appoint and retain **Shri Rachit Mittal, Advocate** to appear act and plead for me/us in the above matter and to conduct/prosecute and defend the same in all interlocutory or miscellaneous proceedings connected with the same or with any decree orders passed therein, appeals and/or other proceedings therefrom and also in proceedings for review of judgment and for leave to appeal to Hon'ble High Court and to obtain return of any documents filed therein, or receive any money which may be payable to me/us.

I/We further authorize him to appoint and instruct any other legal practitioner authorizing him to exercise the powers and authorities hereby conferred upon the Advocate whenever he may think fit to do so.

I/We hereby authorize him/them on my/our behalf to enter into a compromise in the above matter, to execute any decree/order therein, to appeal from any decree/order therein and to appeal, to act and to plead in such appeal or in any appeal preferred by any other party from any decree/order therein.

I/We agree if I/We fail to pay the fees agreed upon or to give the instructions at all stages he/they is/are at liberty to retire from the case and recover all amounts due to him/them and retain all my/our monies till such dues are paid.

And I/We the undersigned to hereby agree to ratify and confirm all acts done by the advocate or his substitute in the mater as my own acts, as if done by me/us to all intents and purposes.

Executed by me/us this 19th day of April 2025 at ______

Signature's
M.P. SINGH
J.S./Prabhari Vidhi

Executant's are personally known to me he has/they have signed by me

Satisfied as to the identity of executant's signature's
(Where the executant's is/are illiterate blind or unacquainted with the language of Vakalat).

Certified that the contents were explained the executant's in my presence in ______ the language known to him/them who appear/s perfectly to understand the same and have/have signed in my presence.

Rachit Mittal
Accepted

RACHIT MITTAL
Advocate, Supreme Court of India,
MZ-25, Ansal Fortune Arcade
SEctor-18, Noida-201301
Uttar Pradesh
Enrl: D/1041/2011

Accepted

Ph: 9873997047
Email: rachit@rmlawchambers.in